भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 3946
गुरुवार, 19 दिसंबर, 2024/28 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

भारतीय वायुयान विधेयक

3946. श्री सुरेश कुमार कश्यप:
श्री लुम्बा राम:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री नव चरण माझी:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रस्तावित भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 की प्रमुख विशेषताएं और उद्देश्य क्या हैं; और
(ख) उक्त विधेयक के क्या लाभ हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 एक अधिनियम बन चुका है। इस अधिनियम में सरलीकृत तरीके से विनियमन प्रावधानों, मौजूदा अतिरेकताओं की पहचान करने और नागर विमानन के विनियमन की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रावधान प्रदान किए गए हैं, जिससे सरकार की 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल को बढ़ावा मिलेगा, अस्पष्टता और अतिरेकताएं दूर होंगे और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा मिलेगा।

भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(i) इस अधिनियम को अध्यायवार और खंडवार प्रावधानों के साथ संगठित और संरचित किया गया है। इस अधिनियम के पाठ को लैंगिक तटस्थता प्रदान करने के लिए संशोधित किया गया है।

(ii) केंद्र सरकार, नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो और वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो की शक्तियों का क्रमशः 5, 2, 3 और 4 क्रमांकित अलग-अलग अध्यायों में प्रावधान किया गया है।

(iii) "डिजाइन", "विनिर्माण" और "अनुरक्षण" जैसे शब्दों की परिभाषा को शामिल करना। यह भविष्य में सरकार की "मेक इन इंडिया" और "आत्मनिर्भर भारत" पहल को बढ़ावा देगा क्योंकि यह उभरते एमआरओ क्षेत्र सहित रखरखाव के महत्वपूर्ण पहलू को विनियमित करने में सहायता करेगा। यह सरकार को "स्टेट ऑफ डिजाइन" के कार्यों को करने और परिणामस्वरूप देश में विमान विनिर्माण के विकास के लिए सक्षम करेगा।

(iv) आरटीआर प्रमाणपत्र परीक्षा आयोजित करने तथा आरटीआर प्रमाणपत्र लाइसेंस जारी करने, जिसे वर्तमान में दूरसंचार विभाग द्वारा जारी किया जाता है को डीजीसीए में केंद्रीयकृत किए जाने के लिए नियम बनाकर व्यापार करने में आसानी (ईओडीबी) को बढ़ावा देने के लिए सक्षम कारी प्रावधान।

(v) अपील, निपटारा राशि, छूट प्रदान करने की शक्ति आदि से संबंधित प्रावधानों के साथ असंगतता को दूर करना।

(vi) प्रावधान, जो दो वैधानिक अपीलों की अनुमति प्रदान करता है तथा किसी भी पीड़ित व्यक्ति को प्रशासनिक प्रवर्तन कार्रवाई (दिए गए लाइसेंस, प्रमाणपत्र या मंजूरी पर प्रतिबंध, निलंबन या रद्द करने के लिए) तथा वित्तीय दंड लगाने के खिलाफ अपील के लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करता है।

******